



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अक्टूबर, 1983

आश्विन 21, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2907/सतह-वि-1-166-1981

लखनऊ 13 अक्टूबर, 1983

अधिसूचना  
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 पर दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाई इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983

[ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1983 ]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश के डकैती प्रभावित क्षेत्रों में कतिपय अपराधों को विनिश्चित करने के लिए जिससे अनुसूचित अपराधों का किया जाना प्रभावकारी ढंग से दबाया जा सके और उनके सम्बन्ध में दण्ड और शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के लिए और ऐसे अपराध कार्य द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्तियों की कुर्की के लिये और उनसे सम्बद्ध या आनुपंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

चूंकि डाकुओं के संगठित और असंगठित गिरोहों के खतर को प्रभावकारी ढंग से दवाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे गिरोहों, सहायक या सहचर निहित स्वार्थों की कड़ी को समाप्त किया जाय और प्रभावकारी ढंग से उन्हें दबाया जाय और उन पर नियंत्रण किया जाय ;

और चूंकि यह आवश्यक है कि डकैती से प्रभावित क्षेत्रों में कतिपय अनुसूचित अपराधों के लिए अधिक कड़े दण्ड का उपबन्ध किया जाय ;

और चूंकि अनुसूचित अपराध कार्य द्वारा विपुल सम्पत्ति डाकुओं के सम्बन्धियों, साथियों और विद्वेषपात्र व्यक्तियों के नाम धारण की जा रही है और यह आवश्यक है कि ऐसी सम्पत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए उपबन्ध किया जाय ;

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

### अध्याय—एक

#### प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ

परिभाषाएँ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 22 अक्टूबर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

2—इस अधिनियम में,—

(क) “डकैती प्रभावित क्षेत्र” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित क्षेत्र से है ;

(ख) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में, “अनुसूचित अपराध” का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस अपराध से है जो किसी अनुसूचित अपराधी द्वारा किया जाता है ;

(ग) “अनुसूचित अपराधी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो लूट या डकैती उसी रूप में या किसी अनुसूचित अपराध से इस प्रकार संसक्त रूप में, कि वे एक ही संव्यवहार के मांग हों चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों, करता है या किया है या करने का या करने के प्रयास का अभियुक्त है ;

(घ) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में “सेशन न्यायाधीश” का तात्पर्य—

(एक) जहाँ ऐसे क्षेत्र में एक जिला या उसका भाग हो, वहाँ, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके भाग में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायाधीश से है ;

(दो) जहाँ ऐसे क्षेत्र में दो या अधिक जिले या उनका भाग हों वहाँ ऐसे सेशन न्यायाधीश से है जिसे उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय ;

(इ) “विशेष न्यायालय” का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित न्यायालय से है ;

(च) “विशेष न्यायाधीश” का तात्पर्य विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त न्यायाधीश से है ;

(छ) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिता में उनके लिए दिये गये हैं।

### अध्याय—दो

#### डकैती प्रभावित क्षेत्र और विशेष न्यायालयों का गठन

प्रभावित डकैती  
क्षेत्र की घोषणा

3—यदि किसी जिले या जिलों या उसके किसी भाग या भागों में अनुसूचित अपराधों की घटना के सम्बन्ध में किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना प्राप्त होने पर, राज्य सरकार को यह विचार हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें ऐसे जिले या जिलों या उनके भाग या भागों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

पुलिस की  
सहायता करने  
वाला व्यक्ति लोक  
सेवक होगा

4—(1) किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अनुसूचित अपराध को किये जाने के सम्बन्ध में सूचना देने में पुलिस की सहायता करता है या ऐसा अपराध किये जाने के सम्बन्ध में सूचना देने या उसके अन्वेषण में पुलिस की सहायता के लिए लगाया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थात् अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

(2) पुलिस अधीक्षक का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उसमें उल्लिखित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए पुलिस की सहायता करता है या सहायता करने में लगाया गया है, उसमें वर्णित तथ्यों का निश्चायक सबूत होगा।

विशेष न्यायालयों  
का गठन

5—(1) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में किये गये अनुसूचित अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जितने ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे डकैती प्रभावित क्षेत्र या क्षेत्रों में या उनके सम्बन्ध में आवश्यक हों।

(2) विशेष न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा जिसे उच्च न्यायालय द्वारा सेवा सेशन न्यायाधीशों या अपर सेशन न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस उपाधारा में, शब्द "नियुक्त" का बड़ी पर्य होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 के स्पष्टीकरण में उसके लिए दिया गया है।

6—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध का विचारण केवल विशेष न्यायालय द्वारा किया जायगा।

(2) किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करने में, विशेष न्यायालय अनुसूचित अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकता है जिसका आरोप किसी अनुसूचित अपराधी पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसी विचारण में लगाया जाय।

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ

7—(1) कोई विशेष न्यायालय किसी अनुसूचित अपराध का मंजान कर सकता है,—

(क) उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता हो परिवार प्राप्त होने पर;

(ख) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर;

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना या स्वयं अपने इस ज्ञान पर कि ऐसा अपराध किया गया है;

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त मामले जो किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व किसी न्यायालय में लम्बित हों, ऐसे मामलों पर अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय की अन्तर्गत हो जायेंगे और उनके सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायगी और उनका निस्तारण किया जायगा।

(2) कोई विशेष न्यायालय, किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करते समय, जहां तक हो सके, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो सेशन के मामलों में विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उपबन्धित की गयी है :

परन्तु विशेष न्यायालय, जहां कहीं आवश्यक हो, उक्त संहिता की धारा 207 के अधीन मजिस्ट्रेट के कृत्यों का संपादन करेगा और मामले के विचारण की कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानो वह मामला ऐसी संहिता के उपबन्धों के अधीन विचारण के लिये सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया है।

(3) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के विना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होंगे और उक्त संहिता के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जायगा और विशेष न्यायालय को समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जायगा।

(4) विशेष न्यायालय इस दृष्टि से कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य अधिप्राप्त करना है, जो किसी अनुसूचित अपराध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बद्ध या संलग्न माना जाय, उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकेगा कि वह अपराध के सम्बन्ध में और उसके किये जाने में, चाहे कर्ता, या दृष्टिक के रूप में सम्बद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में सब परिस्थितियों की जो उसके ज्ञान में हों, पूर्ण और सत्य रूप से प्रकट कर देता है और इस प्रकार प्रदान की गयी क्षमा उक्त संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए उसकी धारा 307 के अधीन प्रदान की गई क्षमा समझी जायगी।

(5) कोई विशेष न्यायालय किसी अभियक्त को सिद्धदोष पाकर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश उस अपराध को दण्डित करने के लिए दे सकता है, जिसके लिए उसे सिद्धदोष पाया गया है।

8—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी,—

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण केवल उस क्षेत्र के लिए जिसमें अपराध किया गया है, गठित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हों, वहां उनमें से किसी ऐसे एक के द्वारा किया जायगा जिसे उच्च न्यायालय के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, सेशन न्यायाधीश द्वारा इन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ख) जहां विशेष न्यायाधीश का पद रिक्त हो या विशेष न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो, वहां सेशन न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, किसी आवश्यक आवेदन-पत्र का, जो दिया जाय या दिया जा सकता है या ऐसे विशेष न्यायाधीश के समक्ष लम्बित हो, निस्तारण कर सकता है या किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हों तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारित करने का प्रवन्ध कर सकता है और प्रत्येक ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी।

मामलों का  
अन्तरण

9—किसी एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को मामलों का अन्तरण करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406, 407 और 408 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

जमानत के  
संबंध में विशेष  
उपबन्ध

10—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध के अभियुक्त या सिद्धदोष व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हो, जमानत पर या उसके निजी बन्ध-पत्र पर तब तक छोड़ा नहीं जायगा जब तक कि—

(क) अभियोजन पक्ष को जमानत के आवेदन-पत्र का विरोध करने का अवसर न दिया जाय; और

(ख) जहाँ अभियोजन पक्ष जमानत के आवेदन-पत्र का विरोध करता है वहाँ न्यायालय का समाधान न हो जाय कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।

परन्तु किसी अनुसूचित अपराध के अभियुक्त को, जो कुल एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए, अभिरक्षा में रहा है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें न्यायालय आरोपित करना उचित समझे, जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

परन्तु यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति, जैसा कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किया गया है, इस प्रकार छोड़ा नहीं जायगा—

(एक) यदि उसे पहले किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय है;

(दो) यदि उसे पहले से अज्ञानतीय और संज्ञेय अपराध के लिए दो या अधिक अवसरों पर दोषसिद्ध किया जा चुका है; या

(तीन) यदि उसने जमानत की किसी शर्त का जिसके अधीन रहते हुए उसे छोड़ा गया था, उल्लंघन किया है।

गिरफ्तारी के  
पश्चात् अभिरक्षा  
के सम्बन्ध में  
विशेष उपबन्ध

11—(1) किसी अनुसूचित अपराध के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) के परन्तुक के खंड (क) के उपबन्ध इस उपान्तर के साथ लागू होंगे, मानों नब्बे दिन के निर्देश के स्थान पर एक सौ अस्सी दिन का निर्देश रखा गया हो।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जिसे किसी अनुसूचित अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाय, यदि ऐसे व्यक्ति को, ऐसी गिरफ्तारी के पश्चात् मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था और ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निरुद्ध करने का प्रारम्भिक आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था, जिसके समक्ष वह पेश किया गया था और अन्वेषण अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समझे कि लोक व्यवस्था के हित में ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना समीचीन नहीं है।

### अध्याय—तीन

#### अपराध और शास्ति

लोक सेवक के  
विरुद्ध अपराध के  
लिए दण्ड

12—जो कोई किसी लोक सेवक के या उसके कुटुम्ब के, किसी सदस्य के, व्यक्ति के प्रति अनुसूचित अपराध करता है,—

(क) यदि ऐसा अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है उसी दण्ड से दण्डित किया जायगा जो उस अपराध के लिए उक्त संहिता में उपबन्धित है; और

(ख) अन्य मामलों में, कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से, दंडित किया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 13 के प्रयोजनों के लिए किसी लोक सेवक के कुटुम्ब के सदस्य का तात्पर्य उसके माता-पिता, उसकी पत्नी या उसका पति, उसके पुत्र और पुत्रियां, पौत्र और पौत्रियां और प्रपौत्र और प्रपौत्रियां और उनके पति या उनकी पत्नियों से है और इसके अन्तर्गत ऐसे लोक सेवक पर आश्रित और उनके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति भी है।

13—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि, एक से अधिक व्यक्तियों की या किसी लोक सेवक या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की हत्या के लिए हो और मृत्यु का दण्डादेश न दिया जाय, तब निर्णय में मृत्यु दण्ड न देने के लिए विशेष कारणों का कथन किया जायेगा।

14—कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित अपराध को करता है, यदि उस अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता में कोई विनिर्दिष्ट दण्ड उपबन्धित नहीं है और वह अपराध धारा 12 के अधीन भी दण्डनीय नहीं है, कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकता है और जो जुर्माने से, दण्डित किया जायगा।

15—जहाँ किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में उस क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में अन्यत्र ऐसी सम्पत्ति पायी जाय जिसके लिए वह कोई संतोषप्रद कैफियत न दे सके और जिसे किसी अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप, अर्जित किया गया है, वहाँ उसे कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने से, दण्डित किया जायगा।

16—धारा 14 और 15 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध के लिए न्यूनतम दण्ड तीन वर्ष का कारावास होगा।

#### अध्याय—चार

#### सम्पत्ति की कुर्की और निर्मुक्ति

17—(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि डकैती प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति ने धारा 15 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है तो वह इस आशय की घोषणा कर सकता है और उस सम्पत्ति को जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किये जाने का विश्वास हो, कुर्की का आदेश दे सकता है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, उपधारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक कुर्की पर लागू होंगे।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अधीन कुर्की की गई किसी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक को ऐसी सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रशासन करने की सभी शक्तियाँ होंगी।

(4) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के समुचित और प्रभावी प्रशासन के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता की व्यवस्था कर सकता है।

(5) सम्पत्ति के प्रशासन पर उपगत व्यय, जिसके अन्तर्गत उपधारा (4) के अधीन पुलिस सहायता से सम्बन्धित व्यय भी है, सम्बद्ध सम्पत्ति पर भार होगा।

18—(1) जब धारा 17 के अधीन सम्पत्ति कुर्की की जाय, तब उसका स्वामी कुर्की की जानकारी होने के दिनांक से तीन मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अभ्यावेदन कर सकता है जिसमें यह दिखाया जायगा कि किन परिस्थितियों में और किन साधनों से वह सम्पत्ति उसके द्वारा अर्जित की गयी थी।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट का उपधारा (1) के अधीन किये गये अभ्यावेदन से समाधान हो जाय तो वह सम्पत्ति को कुर्की से तत्काल निर्मुक्त कर सकता है और तदुपरान्त सम्पत्ति, यदि कोई लाभ हुआ हो तो उसके सहित, सम्पत्ति पर भारित सभी व्ययों को काटने के पश्चात्, उसके स्वामी में निहित हो जायगी।

19—(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट का धारा 18 के अधीन किये गये अभ्यावेदन से समाधान न हो तो वह मामले का अपनी रिपोर्ट के साथ अधिकारितायुक्त विशेष न्यायालय को यह विनिश्चय करने के लिए निदिष्ट करेगा कि वह सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी ऐसे अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप तो अर्जित नहीं की गई थी।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय जांच के लिए कोई दिनांक निश्चित करेगा और उसकी नोटिस अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति और राज्य सरकार को देगा। इस प्रकार निश्चित दिनांक को, या किसी अनुवर्ती दिनांक को जब तक के लिए जांच स्थगित की जाय, विशेष न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई करेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रहण करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और निर्देश के सम्बन्ध में विनिश्चय करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को निम्न-लिखित विषयों के सम्बन्ध में त्रिविध प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को समन कराना और उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

मृत्यु दण्ड न देने के लिए कारण अभिलिखित किये जायेंगे

अनुसूचित अपराधों के लिए साधारणतः दण्ड

ऐसी सम्पत्ति को, जिसके बारे में संतोषप्रद कैफियत न दी जा सके, कब्जे में रखने के लिए दण्ड

कारावास की न्यूनतम अवधि

सम्पत्ति की कुर्की

सम्पत्ति की निर्मुक्ति

सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में विशेष न्यायालय द्वारा जांच

- (ख) दस्तावेजों का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति अधिप्राप्त करना ;
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना ;
- (च) किसी व्यक्तिक्रम के लिए निर्देश को खारिज करना या उसे एक पक्षीय विनिश्चित करना ;
- (छ) व्यक्तिक्रम के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना ;
- (ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यह साबित करने का भार कि धारा 18 के अधीन अभ्यावेदन में उल्लिखित सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणाम-स्वरूप अर्जित नहीं किया गया था, सम्पत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा ।

सम्पत्ति का अधिहरण

20—यदि विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्पत्ति किसी अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप अर्जित की गई थी तो वह उक्त सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश देगा और अपने आदेश के निष्पादन के लिए अभिलेखों को जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा और किसी अन्य मामले में सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर दिये जाने का आदेश दिया जायेगा ।

#### अध्याय—पांच

##### अपील

जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो कोई अपील नहीं की जायगी

21—इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश और किया गया कोई विनिश्चय, या यथा उपबन्धित के सिवाय, अपीलीय नहीं होगा ।

दोषसिद्धि की अपील

22—इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा किये गये विचारण में दोषसिद्धि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है ।

दोषमुक्ति की अपील

23—राज्य सरकार किसी मामले में लोक अभियोजक को, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा दिये गये दोषमुक्ति के किसी आदेश को अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है ।

धारा 20 के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील

24—(1) धारा 20 के अधीन किये गये विशेष न्यायालय के प्रत्येक विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय में की गयी प्रत्येक अपील में, उच्च न्यायालय या तो विनिश्चय को पुष्टि कर सकता है, उसे उलट सकता है, उसमें परिवर्तन या उपान्तर कर सकता है या यह निदेश दे सकता है कि विशेष न्यायालय द्वारा फिर से मामले की सुनवाई की जाय ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध अपील पर लागू होंगे

25—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय उन्तीस के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, धारा 22 या धारा 23 के अधीन की गई प्रत्येक अपील पर लागू होंगे ।

#### अध्याय—छः

##### प्रकीर्ण

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

26—किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे विशेष न्यायालय इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में, सम्पत्ति की कुर्की या अधिहरण में हस्तक्षेप करने वाला कोई व्यादेश या अन्तर्वर्ती आदेश किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जायगा ।

व्यपहरण और अपहरण के संबंध में उपधारणा

27—इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसूचित अपराध के किसी विचारण में जहाँ यह साबित हो जाय कि—

(एक) अभियुक्त ने डकैती प्रभावित क्षेत्र से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है, वहाँ यह उपधारित किया जायगा कि अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण फिरौती के लिए किया है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय ।

(दो) अभियुक्त ने डकैती प्रभावित क्षेत्र से व्यपहृत या अपहृत किसी व्यक्ति को सदीष छिपाया है या परिरुद्ध किया है, वहाँ यह उपधारित किया जायगा कि अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति को यह जानते हुए छिपाया या परिरुद्ध किया है कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार व्यपहृत या अपहृत किया गया है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय।

28--(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

(2) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रशासक के विरुद्ध कोई अभियोजन तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके लिये जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

29--इस अधिनियम के उपबन्ध उससे असंगत किसी बात के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में होते हुए भी प्रभावो होंगे।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

30--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

31--(1) उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरस्तन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश, के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

### अनुसूची

#### [धारा 2 (ख) देखिए]

(एक) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 216-क, 302, 303, 304, 307, 308, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 363, 364, 365, 368, 369, 386, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402 और 511 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(दो) फिरोती के लिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण;

(तीन) फिरोती के लिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करने के लिए एकट्ठा होना या तैयारी करना, या प्रयत्न करना;

(चार) डकैती डालने के लिए आयुध या गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थ बनाना या सुधारना या उनके बनाये जाने या सुधारने की प्रक्रिया का कोई भाग पूरा करना, उनका क्रय करना, विक्रय करना, कब्जे में रखना, व्ययन करना सम्भरण करना या उन्हें ले जाना;

(पांच) डकैती डालने की तैयारी करने या डकैती डालने के प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए व्यक्तियों को या डकैती डालने के पश्चात् इकट्ठा हुए डाकुओं को खाद्य सामग्री, वस्त्र, संचार साधन, परिवहन और अन्य वस्तुओं का स्वेच्छया सम्भरण करना;

(छ) किसी अपहरणकर्ता या व्यपहरणकर्ता को दी जाने के लिए फिरोती की धनराशितय करने में मध्यस्थता करना या उन्हें फिरोती की धनराशि का भुगतान किये जाने के लिए प्रतिभू होना;

(सात) डकैती डालने के लिए तैयारी करने वाले या डकैती डालने के प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए व्यक्तियों के लिये या डकैती डालने के पश्चात् इकट्ठा हुए डाकुओं के लिए गुप्तचरी करना;

(आठ) ऊपर उल्लिखित समस्त या कोई अपराध करने वाले व्यक्तियों से लाभ प्राप्त करना।

आज्ञा से,

गंगा वरुण सिंह,

सचिव।

उत्तर प्रदेश  
असाधारण  
गजट 25  
अक्टूबर 1983

No. 2907(2)/XVII-V-1—166-1981

Dated Lucknow, October 13, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dacoity Prabhawit Kshettra Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 12, 1983.

### THE UTTAR PRADESH DACOITY AFFECTED AREAS ACT, 1983

(U. P. ACT No. 31 OF 1983)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

#### AN ACT

*to make provision for specifying certain offences in the dacoity affected areas of the Uttar Pradesh in order to curb effectively the commission of scheduled offences and to make provision for punishment and speedy trial thereof and for the attachment of properties acquired through the commission of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.*

WHEREAS, for curbing the menace of organised and unorganised gangs of dacoits effectively, it is essential to break the chain of vested interests assisting, or associated with, such gangs and to curb and control them effectively;

AND, WHEREAS, it is essential to provide for more stringent punishments for certain scheduled offences in the areas affected by dacoity ;

AND, WHEREAS, huge properties are being held through the commission of scheduled offences in the names of relatives, associates and confidants of the dacoits and it is necessary to provide for attachment and confiscation of such properties;

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

#### CHAPTER I Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Dacoity Affected Areas Act, 1983.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on October 22, 1981.

Definitions

2. In this Act,—

(a) "dacoity affected area" means an area declared as such under section 3 ;

(b) "scheduled offence" in relation to a dacoity affected area means an offence, specified in the schedule to this Act, being an offence committed by a scheduled offender;

(c) "scheduled offender" means a person who commits or has committed or is accused of committing or attempt to commit dacoity or robbery as such or being so connected with scheduled offence as to form part of the same transaction, whether such offence has occurred at the same time and place or at different times and places;

(d) "Sessions Judge", in relation to a dacoity affected area, means—

(i) where such area consists of a district or part thereof, the Sessions Judge exercising jurisdiction in such district or part, as the case may be ;

(ii) where such area consists of two or more districts or parts thereof, such Sessions Judge, as may be specified by the High Court, in this behalf for exercising jurisdiction in that area ;

(e) "Special Court" means a court constituted under section 5,

(f) "Special Judge" means a Judge appointed under section (2) of section 5 to preside over a Special Court ;

(g) words and expressions, used, but not defined in this Act and defined in the Code of Criminal Procedure, 1973, shall have the meanings assigned to them in that Code.



CHAPTER II

Dacoity affected areas and Constitution of Special Courts

3. If on receiving the report of a police officer or other information in respect of the incidence of the scheduled offences in a district or districts or a part or parts thereof, the State Government considers that a situation has arisen in which the area covered by such district or districts or a part or parts thereof should be declared to be a dacoity affected area for the purpose of this Act, The State Government may, by notification, declare such area to be a dacoity affected area.

Declaration of dacoity affected area.

4. (1) A person who assists the police in giving information, or is engaged to assist the police for giving information relating to the commission of a scheduled offence or in the investigation of the commission of such offence shall, for the purposes of this Act, be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Person assisting the police to be public servant.

(2) A certificate by the Superintendent of Police to the effect that the person mentioned therein is a person who assists or is engaged to assist the police for the purposes specified in sub-section (1) shall be conclusive proof of the facts stated therein.

5. (1) For the purposes of speedy trial of scheduled offences committed in a dacoity affected area, the State Government may, in consultation with the High Court, constitute, by notification, as many special courts as may be necessary in or in relation to such dacoity affected area or areas as may be specified in such notification.

Constitution of Special Courts.

(2) A Special Court shall consist of a single judge, who shall be appointed by the High Court from amongst the serving Sessions Judges or Additional Sessions Judges.

*Explanation*—In this sub-section, the words "appoint" shall have the meaning assigned to it in the Explanation to section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

6. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 or any other law for the time being in force, a scheduled offence shall be triable only by a special Court.

Jurisdiction of Special Courts.

(2) In trying any scheduled offences a Special Court may also try any offence other than such offence with which a scheduled offender may be charged at the same trial under any law for the time being in force.

7. (1) A Special Court may take cognizance of any scheduled offence,—

Procedure and powers of Special Courts.

(a) upon receiving a complaint of facts which constitute such offence;

(b) upon a police report of such facts ;

(c) upon information received from any person other than a police officer, or upon its own knowledge that such offence has been committed:

Provided that all cases triable by a Special Court under this Act, pending before any Court immediately before the date of the commencement of this Act in a dacoity affected area, shall stand transferred to the Special Court having jurisdiction over such cases and shall be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of this Act.

(2) A Special Court shall, while trying a scheduled offence, so far as may be, follow the procedure provided by the Code of Criminal Procedure, 1973 for trial of sessions cases :

Provided that the Special Court may, wherever necessary, perform the functions of a Magistrate under section 207 of the said Code and proceed to try the case as if the case had been committed to Court of Sessions for trial under the provisions of such Code.

(3) Save as otherwise expressly provided in this Act, the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 and the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the proceedings before a Special Court and for the purposes of the provisions of the said Code, the Special Court shall be deemed to be a Court of Sessions and the person conducting the prosecution before a Special Court shall be deemed to be a public prosecutor.

(4) A Special Court may, with a view to obtain the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any scheduled offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relating to the offence and to every other person concerned whether as principal or abettor in the commission thereof and any pardon so tendered shall for the purposes of section 308 of the said Code, be deemed to have been tendered under section 307 thereof.

(5) A Special Court may pass upon any accused person convicted by it any sentence authorised by law for the punishment of offence of which such person is convicted.

Jurisdiction of  
Special Courts.

8. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973,—

(a) all offences under this Act, shall be triable only by the Special Courts constituted for the area in which the offence has been committed or where there are more Special Courts than one for such area, by such one of them as may be subject to any general or special order of the High Court be specified in this behalf by the Sessions Judge,

(b) where the office of the Special Judge is vacant or a Special Judge is absent or unable to act, the Sessions Judge may subject to any general or special order of the High Court dispose of or make arrangements for the disposal by an Additional or Assistant Sessions Judge or if there be no Additional or Assistant Sessions Judge, by the Chief Judicial Magistrate, of any urgent application, which is or may be made or pending before such Special Judge every such Judge or Magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application.

Transfer of  
cases.

9. The provisions of sections 406, 407 and 408 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply for the transfer of cases from one Special Court to another Special Court.

Special provisions  
regarding  
bail.

10. Notwithstanding any thing contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, no person accused or convicted of a scheduled offence shall, if in custody, be released on bail or on his own bond, unless—

(a) the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for bail, and

(b) where the prosecution opposes the application for bail, the Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence :

Provided that a person accused of a scheduled offence, who has been in custody for a total period of one hundred and eighty days, may be released on bail, subject to such condition as the Court may think fit to impose :

Provided further that no such person, as is referred to in the preceding proviso, shall be so released—

(i) if he had been previously convicted of an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for seven years or more;

(ii) if he had been previously convicted on two or more occasions of a non-bailable and cognizable offence; or

(iii) if he has committed a breach of any of the conditions of the bail subject to which he was released.

Special provisions  
regarding  
custody after  
arrest.

11. (1) The provisions of clause (a) of the proviso to sub-section (2) of section 167 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, in respect of a scheduled offence, apply with the modification as if a reference to one hundred and eighty days were substituted for the reference to ninety days.

(2) The provisions of clause (b) of the proviso to sub-section (2) of section 167 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall not apply to a person who is arrested for the commission of a scheduled offence if such person had been after such arrest produced before a Magistrate and the initial order for detention of such person in custody had been made by the Magistrate before whom he was so produced and the Investigating Officer for reasons to be recorded in writing considers that it is not expedient in the interest of public order to produce such person before the Magistrate.

CHAPTER III

Offences and Penalty

12. Whoever commits a scheduled offence against the person of a public servant or against the person of a member of his family shall—

Punishment for offence against public servant.

(a) if such offence is punishable with death or imprisonment for life under the Indian Penal Code be punished with the punishment provided for the offence in the said Code, and

(b) in other cases be punished with imprisonment which may extend to ten years and with fine.

*Explanation*—For the purposes of this section and section 13, a member of family of a public servant shall mean his parents, spouses, sons and daughters, grandsons and grand-daughters and great grand sons and great-grand daughters and their spouses and shall include a person dependent on and residing with such public servant.

13. Notwithstanding anything contained in sub-section (3) of section 354 of the Code of Criminal Procedure, 1973, when the conviction under this Act is for the murder of more than one person or murder of a public servant or a member of his family and where the sentence of death is not awarded, the judgment shall state the special reasons for not awarding the death sentence.

Reasons to be recorded for not awarding punishment of death.

14. A person who commits a scheduled offence shall, if no specific punishment is provided for that offence in the Indian Penal Code and that offence is also not punishable under section 12 be punished with imprisonment which may extend to ten years and with fine.

Punishment for scheduled offences generally.

15. Where a person living in a dacoity affected area is found to be in possession of property in that area or elsewhere in Uttar Pradesh for which he cannot satisfactorily account for and which has been acquired by or as a result of the commission of a scheduled offence shall be punished with imprisonment which may extend to seven years and with fine.

Punishment for possessing property not satisfactorily accounted for.

16. Notwithstanding anything contained in sections 14 and 15 or any other law for the time being in force the minimum punishment for a scheduled offence shall be imprisonment for three years.

Minimum period of imprisonment.

CHAPTER IV

Attachment and Release of Property

17. (1) If the District Magistrate has reason to believe that a person living in a dacoity affected area has committed an offence punishable under section 15 he may make a declaration to that effect and order attachment of the property in respect of which such offence is believed to have been committed.

Attachment of property.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, *mutatis mutandis*, apply to every attachment made under sub-section (1).

(3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the District Magistrate may appoint an Administrator of any property attached under sub-section (1) and the Administrator shall have all the powers to administer such property in the best interest thereof.

(4) The District Magistrate may provide police help to the Administrator for proper and effective administration of such property.

(5) The expenses incurred on the administration of the property, including the expenses relating to police help under sub-section (4) shall be a charge on the property concerned.

18. (1) When the property is attached under section 17, the owner thereof may, within three months from the date of knowledge of attachment, make a representation to the District Magistrate, showing the circumstances in and the means by which the property was acquired by him.

Release of property

(2) If the District Magistrate is satisfied with the representation made under sub-section (1), he may forthwith release the property from attachment and thereupon the property alongwith the profits, if any, after deducting all the expenses charged on the property shall vest in the owner thereof.

Enquiry into the character of acquisition of property by Special Court.

19. (1) If the District Magistrate is not satisfied with the representation made under section 18, he shall refer the matter with his report to the Special Court, having jurisdiction for deciding whether the property or any part thereof was or was not acquired by or as a result of the commission of a scheduled offence.

(2) On receipt of the reference under sub-section (1), the Special Court shall fix a date for enquiry and give notices thereof to the person making the representation and the State. On the date so fixed, or on any subsequent date to which the enquiry may be adjourned, the Special Court shall hear the parties, receive evidence produced by them, take such further evidence as it considers necessary and decide the reference.

(3) For the purposes of enquiry under sub-section (2), the Special Court shall have the powers of a Civil Court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely,—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;
- (b) requiring the discovery and production of documents ;
- (c) receiving evidence on affidavits ;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office ;
- (e) issuing commissions for examination of witnesses or documents ;
- (f) dismissing a reference for *default* or deciding it *ex parte* ;
- (g) setting aside an order of dismissal for default or an order passed by it *ex parte* ;
- (h) any other matter which may be prescribed ;

(4) In any proceeding under this section the burden of proving that the property or any part thereof mentioned in the representation under section 18 was not acquired by or as a result of the commission of a scheduled offence shall be on the person claiming the property notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872.

Confiscation of property.

20. If the Special Court finds that the property was acquired by or as a result of the commission of a scheduled offence, it shall order confiscation of the said property and shall transmit the records to the District Magistrate for execution of its order and in any other case, the property shall be ordered to be released forthwith.

## CHAPTER V

### Appeals

No appeal to lie unless otherwise provided.

21. No order passed and no decision made under this Act shall be appealable except as hereinafter provided.

Appeal from conviction.

22. Any person convicted on a trial held by a Special Court under this Act may appeal to the High Court.

Appeal from acquittal.

23. The State Government may in any case direct the Public Prosecutor to present an appeal to the High Court from an order of acquittal passed by a Special Court under this Act.

Appeal against order under section 20.

24. (1) An appeal shall lie to the High Court against every decision of the Special Court made under section 20.

(2) In any appeal preferred in the High Court under sub-section (1) the High Court may confirm, reverse, vary or modify the decision or direct that the matter be re-heard by the Special Court.

Provision of Code of Criminal Procedure to apply to appeals.

25. The provisions of Chapter XXIX of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall *mutatis mutandis*, apply to every appeal preferred under section 22 or section 23.

## CHAPTER VI

### Miscellaneous

Bar of jurisdiction of Civil courts

26. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Special Court is empowered by or under this Act to determine, and no injunction or interlocutory order interfering with the attachment or confiscation of the property shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

27. In any trial of a scheduled offence under this Act where it is proved that—

Presumption in respect of kidnapping and abduction.

(i) the accused has kidnapped or abducted any person from dacoity affected area, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the accused has kidnapped or abducted such person for ransom,

(ii) the accused has wrongfully concealed or confined any person kidnapped or abducted from dacoity affected area, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the accused has concealed or confined such person knowing that such person has been so kidnapped or abducted.

28. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government for anything done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

(2) No prosecution against an Administrator appointed under sub-section (3) of section 17 shall be instituted unless previous sanction of the District Magistrate has been obtained therefor.

29. The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any law for the time being in force.

Act to have overriding effect.

30. The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

Power to make rules.

31. (1) The Uttar Pradesh Dacoity Affected Areas (Second) Ordinance, 1983 is hereby repealed.

Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force of all material times.

### The Schedule

[See SECTION 2(b)]

(i) Offences punishable under sections 216-A, 302, 303, 304, 307, 308, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 363, 364, 365, 368, 369, 386, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402 and 511 of the Indian Penal Code ;

(ii) kidnapping or abducting any person for ransom ;

(iii) assembling or making preparation or attempt for kidnapping or abducting a person for ransom ;

(iv) making or mending or performing any part of the process of making or mending, buying, selling, possessing, disposing of, supplying or carrying arms or ammunition or explosives for the commission of dacoity ;

(v) voluntarily supplying food materials, clothings, means of communication, transport and other articles to the persons making preparation for dacoity or assembled for the purpose of committing dacoity or to the dacoits assembled after the commission of dacoity ;

(vi) mediating in the settlement or standing surety for, the payment of ransom to an abductor or a kidnapper ;

(vii) spying for the persons making preparation for dacoity or assembled for the purpose of committing dacoity or for the dacoits assembled after the commission of dacoity ;

(viii) receiving benefits from the persons committing all or any of the above mentioned offences.

By order,  
G. B. SINGH,  
Sachiv.